न्यायालय न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त कलक्टर एवं अति.जिला मजिस्ट्रेट–प्रथम, जयपुर

परिवाद संख्याः 07 / 2022 GCMS No:- 2022/78

सरकार जरिये वीरेन्द्र कुमार सिंह खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर प्रथम।

...प्रार्थी

बनाम

श्री महेश कुमार शर्मा पुत्र श्री चौथमल (विक्रेता),
मैसर्स–बालाजी ट्रेडिंग कम्पनी, सायपुरा स्टैण्ड, तह0 जमवारामगढ,
जिला जयपुर। निवासी चावण्ड का मण्ड वापलावतो की ढाणी,
सायपुरा रोड, तह0 जमवारामगढ, जिला जयपुर।

... अप्रार्थी–अभियुक्त

परिवाद अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2 (2)
एफ.एस.एस. एक्ट, 2006 एवं नियम 2011

निर्णय दिनांकः 13 / 12 / 2022

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 06.01.2022 को समय 03.00 पी.एम. बजे मैसर्स बालाजी ट्रेडिंग कम्पनी, सायपुरा स्टैण्ड, तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर पहुंचा व अपना परिचय दिया। उक्त संस्थान पर श्री महेश कुमार शर्मा पुत्र श्री चौथमल शर्मा उपस्थित मिले जिन्होने स्वयं को उक्त संस्थान का विक्रेता होना बताया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा उक्त संस्थान का निरीक्षण करने पर पाया कि संस्थान में सरसो व सोयाबीन का तेल खुले स्टील के ड्रम में आम जनता को विक्रय हेतु रखा था। खुल अवस्था में खाद्य तेल बेचना एफएसएसए 2006 व विनियम 2011 के रेगुलेशन 2.3.15(1)(b) के अन्तर्गत बेचना प्रतिबंधित है। सरसों के तेल में मिलावट का शक होने पर 1600 ग्राम सरसों का तेल (लूज) वास्ते नमूना जाँच खरीदा जिसकी कीमत श्री महेश कुमार शर्मा को 272/– रूपये नकद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर है तथा उपस्थित गवाहान श्री अभिषेक शर्मा तथा महेन्द्र कुमार के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म संख्या 5ए की प्रतियां एवं फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढकर, सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे श्री प्रकाश चन्द मेहरवाल एवं गवाहान ने भी पढकर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। फार्म संख्या 5ए की एक प्रति विक्रेता श्री खाद्य कारोबारकर्ता महेश कुमार शर्मा को देकर रसीद प्राप्त की। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा सरसों का तेल (लूज) के चार जार पर लेबल तैयार कर चिपकाये और लेबलो पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर प्रथम के कोड एवं कमांक ई–5380 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता एवं गवाहान के हस्ताक्षर कराये। चारो नमूना भागो को अलग–अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर प्रथम की

अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम)
जयपुर

हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप नंबर ई–5380 नियमानुसार चारों नमूना बोतलों पर नीचे से उपर गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि हस्ताक्षर पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आवें। मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार की गयी एवं खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने चारो नमूना भागो पर नियमानुसार गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर परिवादी खाद्य सुरक्षा अधिकारी स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं चारो नमूना भागो को अपने जाप्ते में लिया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नंबर 6 की सात प्रतियॉ तैयार की और प्रत्येक पर नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर कर जांच हेतु खाद्य विश्लेषक एवं मुख्य जन विश्लेषक, राजस्थान जयपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की। दो फॉर्म सं. 6 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बन्द कर चपड़ी से सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक जयपुर को जमा कराकर फार्म सं. 6 की पुस्त पर रसीद प्राप्त की जो प्रार्थना पत्र के संलग्न है। शेष दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य जयपुर प्रथम को जमा कराकर रसीदे प्राप्त की है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर प्रथम के पत्रांक 99 दिनांक 27.01.2022 द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक, जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं. एलएस/144/एक्ट/2022/183 दिनांक 20.01.2022 के अनुसार खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक द्वारा वास्ते नमूना जांच विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ एफएसएस एक्ट 2006 नियम व विनियम 2011 के अनुसार **Contravenes of Regulation No. 2.3.15(1)b of Food Safety and Standards (Prohibitionand Restrictions on Sales) Regulation 2011 because it sold in loose condition** पाया गया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने समस्त मूल पत्रावली को अभिहित अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की तथा श्रीमान अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर प्रथम ने पत्र क्रमांक/1022 दिनांक 20.06.2022 के द्वारा आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को उक्त केस में न्यायनिर्णयन आवेदन फाईल करने हेतु प्राधिकृत किया है। जिसकी अनुपालना में परिवाद प्रस्तुत किया गया है तथा निवेदन किया है कि सरसों का तेल (लूज) का विक्रय करके अप्रार्थी ने खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(5) का उल्लंघन किया है एवं बिना खाद्य रजि0 के खाद्य करोबार कर खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 31 की उपधारा 2 का उल्लघंन किया है। अतः उक्त कृत्य के लिये अप्रार्थी को खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 50 में निर्धारित अनुसार दण्डित किया जावे। प्रार्थी पक्ष द्वारा परिवाद प्रस्तुत किये जाने पर दर्ज रजिस्टर किया गया तथा अप्रार्थी (अभियुक्त) को नोटिस जारी करने के आदेश दिये गये। नोटिस जारी करने पर अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री राजेश शर्मा उपस्थित आये। पत्रावली बहस हेतु नियत की गई।

पत्रावली पर प्रार्थी की बहस सुनी गई। बहस प्रार्थी पक्ष ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि खाद्य पदार्थ सरसों का तेल (लूज) सबस्टैण्डड एवं

अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम)
जयपुर

कोन्टावेन्स का विकय करके अप्रार्थी ने खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 व नियम 2011 की उपधारा 2(5)का उल्लंघन किया है, अतः उक्त कृत्य के लिये अप्रार्थी को खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 50 में निर्धारित अनुसार दण्डित किया जावे।

अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री राजेश शर्मा उपस्थित आये। अप्रार्थी एवं अप्रार्थी अधिवक्ता को आवाज दिलाई गई। अप्रार्थी एवं अप्रार्थी अधिवक्ता दौराने बहस अनुपस्थित।

पत्रावली पर प्रार्थी पक्ष को सुना गया। प्रस्तुत दलील पर गौर किया तथा पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया तथा सम्बन्धित कानून के परिपेक्ष्य में गम्भीरता पूर्वक मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात से यह साफ जाहिर है कि अप्रार्थी–अभियुक्त द्वारा खाद्य पदार्थ सरसो का तेल (लूज) **Contravenes of Regulation No. 2.3.15(1)b of Food Safety and Standards (Prohibitionand Restrictions on Sales) Regulation 2011 because it sold in loose condition** का विकय करके खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 व नियम 2011 की उप धारा 2 (2) का उल्लंधन किया है। अप्रार्थी पक्ष की ओर से इस सम्बन्ध में ऐसे कोई ठोस तथ्य प्रस्तुत नहीं हुये है, जिससे यह साबित हो कि उसके द्वारा ऐसा कोई कृत्य नहीं किया गया हो एवं खाद्य पदार्थ सरसो का तेल (लूज) खाद्य विश्लेषक की रिपोर्ट अनुसार निर्धारित मानक स्तरों पर सही पाया गया है। अतः उक्त कृत्य के लिये अप्रार्थी–अभियुक्त पर उक्त अधिनियम की धारा 50 के अन्तर्गत अपराध कारित होने पर शास्ती राशि रू0 15,000/–(अक्षरे पन्द्रह हजार रूपये) लगाई जाती है। अप्रार्थीगण–अभियुक्तगण जुर्माना राशि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित बजट हैड में 15 दिवस की अवधि में जमा कराना सुनिश्चित करें तथा राशि जमा करा कर चालान की प्रति न्यायालय में प्रस्तुत करे। प्रार्थी पक्ष को निर्णय की प्रति पालना सुनिश्चित करने हेतु प्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 13.12.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

(दिनेश कुमार शर्मा)
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अति.कलक्टर एवं अति.जिला
मजिस्ट्रेट–प्रथम जयपुर